

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

ईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 16/2020

दायर दिनांक :- 06.01.2020

अनवान

श्री महादेव मुत. सालगा मीणा नि. दरगाह बिलेठा तह० जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री भंवर पिता नारायण मीणा नि. दरगाह बिलेठा तह० जहाजपुर
2. श्री पप्पू पिता जीवन राजपूत नि. बिलेठा तह० जहाजपुर
3. श्री रामनिवास पिता नारायण मीणा नि. दरगाह बिलेठा तह० जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण...

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बिलेठा प० ह० बिलेठा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1376/1 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 1376/2 रकबा 3.00 बीघा, आ.न. 1375 रकबा 2.05 बीघा, आ.न. 1381/2 रकबा 4.06 बीघा, आ.न. 1382/1 रकबा 1.13 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 वं विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिलेठा प० ह० बिलेठा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1376/1 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 1376/2 रकबा 3.00 बीघा, आ.न. 1375 रकबा 2.05 बीघा, आ.न. 1381/2 रकबा 4.06 बीघा, आ.न. 1382/1 रकबा 1.13 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु मु. अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द का कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,

जहाजपुर (भीलवाडा)